बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

आदेश

संचिका संख्या–5/आ0–4–1011/2016– 480 पटना, दिनांक– 04/06/18

श्री प्रकाश चन्द्र प्रभाकर, तत्कालीन कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, अरवल सम्प्रति कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पूर्णियाँ के विरूद्ध निर्मल भारत अभियान अन्तर्गत जिला जल एवं स्वच्छता समिति, अरवल जिला के करपी प्रखंड के रामपुर चाय पंचायत में विभिन्न स्वयं सेवी संस्थाओं एवं अन्य द्वारा निर्मित घरेलू शौचालयों की जाँच में मात्र 115 अदद घरेलू शौचालय ही निर्मित पाये गए एवं शेष 227 अदद घरेलू शौचालयों के निर्माण कार्य के विरूद्ध कुल ₹6,99,310.00 (छः लाख निन्यानवे हजार तीन सौ दस) रूपये के अनियमित भुगतान में सहयोग से संबंधित आरोप प्रथम द्रष्टया प्रमाणित पाया गया।

2. श्री प्रभाकर के विरूद्ध प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोप के आलोक में आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित करते हुए विभागीय आदेश संख्या–69, दिनांक–07.02.2017 के द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17(2) के तहत विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई। विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री अरूण कुमार सिंह, मुख्य अभियंता (नागरिक), के प्रावैधिक सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को जाँच संचालन पदाधिकारी एवं श्री ताहिर हसन, सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, अरवल को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

3. श्री अरूण कुमार सिंह, मुख्य अभियंता (नागरिक), के प्रावैधिक सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–10(ना०को०), दिनांक–18.09.2017 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया गया। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में श्री प्रभाकर के विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र 'क' में गठित आरोप को प्रमाणित बताया गया। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय पत्रांक–861, दिनांक–13.10.2017 एवं स्मार पत्रांक–85, दिनांक–24.01.2018 के द्वारा श्री प्रभाकर को जाँच प्रतिवेदन में प्रमाणित आरोप के आलोक में द्वितीय कारणपृच्छा समर्पित करने का निदेश दिया गया। विभागीय निदेश के आलोक में श्री प्रभाकर के पत्रांक–शून्य, दिनांक–06.02.2018 के द्वारा द्वितीय कारणपृच्छा का प्रत्युत्तर विभाग को समर्पित किया गया। विभाग द्वारा श्री प्रभाकर से प्राप्त द्वितीय कारणपृच्छा के प्रत्युत्तर की समीक्षा की गई एवं समीक्षोपरान्त उसे अस्वीकार योग्य पाया गाय।

4. उक्त के आलोक में समीक्षोपरान्त बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 के तहत श्री प्रकाश चन्द्र प्रभाकर, तत्कालीन कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, अरवल सम्प्रति कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पूर्णियाँ के विरूद्ध निम्न दण्ड अधिरोपित किया जाता है:–

(i) संचयी प्रभाव के साथ दो वेतनवृद्धियों पर रोक।

Sd/- 4.6.18

(सतीश चन्द्र मिश्र)

अभियंता प्रमुख।

ज्ञापांक–5/आ0–4–1011/2016– 480 पटना, दिनांक– 04/06/18

Email प्रतिलिपि–जिला कोषागार पदाधिकारी, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4.6.18

(सतीश चन्द्र मिश्र)
अभियंता प्रमुख।

ज्ञापांक–5/आ0–4–1011/2016– 480 पटना, दिनांक– 04/06/18

Email प्रतिलिपि–सचिव के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्र०को०)/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी सहायक अभियंता/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2/आई0टी0, मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/श्री प्रकाश चन्द्र प्रभाकर, कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, अरवल, सम्प्रति कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4.6.18

(सतीश चन्द्र मिश्र)
अभियंता प्रमुख।